

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492002

// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

21 SEP 2022

क्रमांक एफ 1-76/2022/सत्रह/एक :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित अस्थिरोग विशेषज्ञों को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरित करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम-(4) में दर्शित पदस्थापना स्थल में पदस्थ करता है :-

क	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापना	संशोधित पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डॉ. सौरभ वर्मा,	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिमगा, जिला बलौदाबाजार	सिविल अस्पताल भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा
2.	डॉ. सिद्धार्थ भारद्वाज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लैलुंगा, जिला रायगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डौण्डीलोहारा, जिला बालोद
3.	डॉ. बोधन सिंह परते	सिविल अस्पताल खैरागढ़, जिला राजनांदगांव	जिला चिकित्सालय कोण्डागांव

2/ उपरोक्त आदेश हेतु समन्वय में अनुमोदन प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राजेन्द्र सिंह गौर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

श्री राजीव
सिंह

पृ0क. एफ 1-76/2022/सत्रह/एक नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक
प्रतिलिपि:-

21 SEP 2022

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।



निरंतर.....2

5. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर। कृपया उक्त आदेश को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. संबंधित कलेक्टर, जिला, छत्तीसगढ़।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, छत्तीसगढ़।
9. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, दुर्ग, छ.ग.।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. संबंधित छात्र/छात्राओं.....की ओर पालनार्थ।
12. कार्यालयीन प्रति।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग